भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2630

16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ चावल का रिकॉर्ड उत्पादन

2630. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2025-26 खरीफ-चावल उत्पादन का पहला अग्रिम आकलन क्या है और क्या मंत्रालय ने अपेक्षित खरीद आवश्यकता, सुरक्षित भंडार के स्तर और सार्वजनिक भंडारण एवं पीडीएस व्यवस्था पर अपेक्षित अतिरिक्त बोझ का आकलन किया है;

(ख) मंत्रालय का सभी राज्यों में और विशेषकर भंडारण या परिवहन बाधाओं से जूझ रहे क्षेत्रों में, छोटे और सीमांत किसानों को उचित और समय पर खरीद और एमएसपी भुगतान किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है;

(ग) चावल उत्पादन में तीव्र वृद्धि को देखते हुए, कटाई के बाद होने वाली क्षति, अपव्यय और खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, और शीतागार, भंडारण और आधुनिक अन्न-भंडारों के विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दलहन और तिलहन उत्पादन में देखी गई गिरावट को दूर करने और चावल की एकल कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए कोई फसल-विविधीकरण योजना है; और

(ङ) सरकार चावल की खेती में रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए, जिसके लिए संभवतः अधिक सिंचाई या भूजल निष्कर्षण की आवश्यकता होगी, सतत जल उपयोग और जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2025-26 खरीफ के लिए पहला अग्रिम अनुमान 12,45,03,940 मीट्रिक टन चावल का है। केंद्रीय पूल के अंतर्गत केएमएस 2025-26 (खरीफ फसल) के दौरान निर्धारित धान खरीद अनुमान (चावल के संदर्भ में) अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख): किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सीएनए) राज्य सरकार और राज्य स्तरीय एजेंसियों (एसएलए) के समन्वय से किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त खरीद केंद्र खोलती हैं। सभी पंजीकृत किसानों को एमएसपी खरीद का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पीएसएस के तहत पूर्व-पंजीकृत किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में आधार प्रमाणित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/आधार सत्यापित बैंक खाता माध्यम से ही किया जाता है।

(ग): सरकार मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भी व्यवस्था के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद गेहूं और चावल का भंडारण एफसीआई के माध्यम से करती है। 01.11.2025 तक, एफसीआई के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 482.23 लाख मीट्रिक टन (स्वामित्व वाली - 147.38 लाख मीट्रिक टन + किराए पर ली गई - 322.43 लाख मीट्रिक टन + सीएपी - 12.42 लाख मीट्रिक टन) है और केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास 347.13 लाख मीट्रिक टन क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य एजेंसियों के पास 432.93 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है।

भंडारण क्षमता का निरंतर मूल्यांकन और निगरानी की जाती है और भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराये पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदामों को किराये पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
7. सीएपी किराया योजना - 2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना, जिसमें 15 वर्ष की लंबी गारंटी अवधि शामिल है।

आधुनिक इस्पात साइलो का निर्माण:

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की परिचालन स्टील-साइलो क्षमता बढ़कर 29.5 एलएमटी हो गई है और आने वाले 2-3 वर्षों में इसे लगभग 90 एलएमटी तक बढ़ाने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं, जो पारंपरिक गोदाम-आधारित भंडारण से आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों की ओर एक बड़ा बदलाव दर्शाती है।

इस सुधार का मुख्य उद्देश्य सतत, कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत इस्पात साइलो के माध्यम से भारत की खाद्यान्न भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना है, जो फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करती हैं, अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, रेल आधारित परिवहन को तेज और सुरक्षित बनाती हैं और इसमें पारंपरिक गोदामों की तुलना में एक तिहाई भूमि की आवश्यकता होती है और लॉजिस्टिक लागत को कम करती हैं।

साइलो अनाज की बेहतर गुणवत्ता, कम बर्बादी और सुधार सुनिश्चित करते हैं। इस क्षेत्र के लिए, साइलो उच्च परिचालन दक्षता, तेजी से थोक प्रबंधन, कम अपक्षय, कम श्रम की आवश्यकता और अनुकूलित आपूर्ति-श्रृंखला संचालन प्रदान करते हैं, जिससे दीर्घकालिक भंडारण क्षमता मजबूत होती है और स्थिरता एवं किफायत में वृद्धि होती है।

राज्यवार केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के कुल परिचालन शीत भंडारणों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	स्थान	एमटी में क्षमता
1.	महाराष्ट्र	सीडब्ल्यू वाशी	395
2.	महाराष्ट्र	सीडब्ल्यू नासिक	2300
3.	गुजरात	सीडब्ल्यू वडोदरा	1250

(घ): भारत सरकार, प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को मूल हरित क्रांति राज्यों हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013-14 से लागू कर रही है। इसका उद्देश्य अधिक जल खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र को कम जल की आवश्यकता वाली वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ना है। सीडीपी के तहत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए आकस्मिक निधि हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू उत्पादक प्रमुख राज्यों में भी फसल विविधीकरण कार्यक्रम का विस्तार किया गया है ताकि तंबाकू उत्पादक किसानों को 2015-16 से वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली की को अपनाने लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ड.): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय जलवायु-प्रतिरोधी कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। इस परियोजना के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार 651 कृषि जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को 'बहुत उच्च संवेदनशील' और 201 जिलों को 'उच्च संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए, धान सघनता प्रणाली, एरोविक धान, धान की सीधी बुवाई, बिना जुताई के गेहूं की बुवाई आदि जैसी स्थान-विशिष्ट इस परियोजना के अंतर्गत जलवायु-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन 151 जिलों में 448 जलवायु-प्रतिरोधी गांवों में कृषि एवं कृषि केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किया गया है। कई एनआईसीआरए गांवों में सूखे और बाढ़ सहिष्णु जलवायु-प्रतिरोधी धान की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के तहत कृषि पद्धतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एनआईसीआरए के तहत, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूल पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में शामिल 151 जिलों के अलावा अतिरिक्त संवेदनशील जिलों में भी छोटे एवं सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों की सहभागिता के माध्यम से ग्राम स्तरीय संस्थाएँ, जैसे ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियाँ, बीज एवं चारा बैंक, सुचारू संचालन और आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए स्थापित की गई हैं। यह परियोजना किसानों की क्षमता निर्माण और फसल पैदावार में सुधार में योगदान दे रही है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है। बागवानी, कृषि वानिकी के एकीकृत विकास के लिए मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल खराब होने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2661 किस्में एक या एकाधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं।

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	धान की खरीद का अनुमान (चावल के हिसाब से) (एलएमटी में)
1.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	116.00
2.	छत्तीसगढ़	73.00
3.	ओडिशा	40.00
4.	उत्तर प्रदेश	39.00
5.	हरियाणा	36.00
6.	तेलंगाना	36.00
7.	मध्य प्रदेश	29.00
8.	बिहार	25.00
9.	पश्चिम बंगाल	18.00
10.	तमिलनाडु	16.00
11.	आंध्र प्रदेश	16.00
12.	महाराष्ट्र	7.00
13.	उत्तराखंड	5.00
14.	असम	4.00
15.	केरल	2.00
16.	झारखंड	0.71
17.	गुजरात	0.24
18.	जम्मू एवं कश्मीर	0.20
19.	हिमाचल प्रदेश	0.16
20.	त्रिपुरा	0.12
21.	कर्नाटक	0.05
22.	पुडुचेरी	0.01
	कुल	**463.49**

*****